

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय

विषय:-कार्यपालन यंत्री (सिविल) से अधीक्षण यंत्री (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु
विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.10.2014 का कार्यवाही विवरण।

उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे :-

- | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | प्रो. एस.पी.गौतम
सदस्य
म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर | अध्यक्ष |
| 2. | श्री राधेश्याम जुलानिया
प्रमुख सचिव
जल संसाधन विभाग, भोपाल | सदस्य |
| 3. | श्री एम.जी. चौबे,
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
भोपाल | सदस्य |
| 4. | श्री एन.के.परिहार
अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)
जल संसाधन विभाग, भोपाल | सदस्य
(म.प्र.लोकसेवा (पदोन्नति) नियम 2002
के नियम-11 के प्रावधान अनुसार |


मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट याचिका क्र. 17397/2013 में पारित आदेश दिनांक 23.10.2013 के अनुपालन में सहायक यंत्री (सिविल) की पूर्व पदक्रम सूची को संशोधित करते हुए वर्ष 1984 में म.प्र.लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए चयन के आधार पर, सीधी भर्ती के सहायक यंत्री (सिविल) की वरीयता क्रम का निर्धारण विभाग के आदेश क्र. एफ 22-17/14/पी-1/31 दिनांक 28.02.14 द्वारा किया गया।


2. वरीयता पुनरीक्षित किए जाने के फलस्वरूप वरिष्ठ यंत्रियों को प्रोफार्मा पदोन्नति दिए जाने से रोस्टर अनुसार 25 रिक्तियां अनारक्षित एवं 2 रिक्तियां अजजा संवर्ग की है। अजा संवर्ग की कोई रिक्ति नहीं है।

3. प्राधिकार एवं सिद्धांत

यह चयन म.प्र.जल संसाधन अभियांत्रिकी तथा भौमिकी सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1968 सहपठित म.प्र.लोक सेवा पदोन्नति नियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। पदोन्नतियां, योग्यता-सह-वरिष्ठता के सिद्धांत पर आधारित है।






29.10.14

4. न्यायालयीन स्थगन

इस चयन के संबंध में कोई न्यायालयीन स्थगन नहीं है।

5. वरिष्ठता एवं पदक्रम सूची

दिनांक 31.10.2000 की स्थिति में जारी सहायक यंत्री की पदक्रम सूची को पदोन्नति का आधार बनाया गया है। इस वरिष्ठता सूची के आधार पर चयन के संबंध में कोई न्यायालयीन स्थगन अथवा ऐसा कोई विशिष्ट निर्देश नहीं है जिसके पालन के अभाव में बैठक किया जाना युक्तियुक्त न हो।

6. अर्हकारी सेवा

म.प्र.सिंचाई अभियांत्रिकी (राजपत्रित) भरती नियम 1968 के अनुसार अधीक्षण यंत्री (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु कार्यपालन यंत्री (सिविल) के पद पर कार्य करने की न्यूनतम अर्हतादायी सेवा 05 वर्ष निर्धारित है। कम से कम एक वर्ष का रूपांकन, सर्वेक्षण तथा अनुसंधान कार्य का अनुभव एवं कंप्यूटर व इंटरनेट उपयोग करने का ज्ञान आवश्यक अर्हता है।

7. विचार क्षेत्र

म.प्र.लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के नियम-7 (1) के अनुसार विचार क्षेत्र में भरे जाने वाली रिक्तियों को दुगुना करके 04 जोड़ने का फार्मूला है। इस प्रकार 27 पदों के लिए विचार क्षेत्र $27 \times 02 + 04 = 68$ अधिकारी अपेक्षित है। दिनांक 31.10.2000 की सहायक यंत्री की वरीयता सूची को आधार बनाकर कार्यपालन यंत्री के पद पर पदोन्नति की तिथि के आधार पर परस्पर वरीयता नियत कर विचार क्षेत्र सूची बनाई गई।

8. आज दिनांक 29.10.2014 को डीपीसी की बैठक के प्रारंभ में समिति के सदस्य प्रमुख अभियंता श्री एम.जी.चौबे ने अवगत कराया कि विचारक्षेत्र के सरल क्र. 30 पर श्री कैलाश चौबे उनके अनुज हैं। मान. अध्यक्ष द्वारा श्री कैलाश चौबे के नाम पर विचार करने के दौरान श्री एम.जी. चौबे, प्रमुख अभियंता को बैठक से पृथक रहने की अनुमति दी। शेष अधिकारियों के नाम पर विचार के समय श्री एम.जी.चौबे बैठक में उपस्थित रहे।

8. संनिष्ठा

विचार क्षेत्र में सम्मिलित सभी अधिकारियों की संनिष्ठा उनके गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर विभाग द्वारा प्रमाणित की गई है।

29.10.14

पदोन्नति की कसौटियां

- (I) संनिष्ठा संदेह से परे हो एवं प्रमाणित हो ।
- (II) पूर्ववर्ती 05 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों का मूल्यांकन समग्र रूप से (बेंचमार्क ग्रेड) "बहुत अच्छा" श्रेणी का हो । सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. --सी-3-7/2002/3/एक, दिनांक 29.09.2004 के अनुसार 05 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों के अंकों का न्यूनतम योग 13 अंक होना चाहिए । यदि किसी अधिकारी के 05 वर्षों का मूल्यांकन 20 अंकों का है तो उसे "उत्कृष्ट श्रेणी" में वर्गीकृत किया जायेगा एवं उसे चयन सूची में "बहुत अच्छा" श्रेणी के ऊपर स्थान दिया जायेगा ।

9. रिक्तियों की गणना

विभाग में अधीक्षण यंत्री (सिविल) के कुल 27 पद रिक्त हैं। रोस्टर अनुसार 25 रिक्तियां अनारक्षित एवं 2 रिक्तियां अजजा संवर्ग की हैं। अजजा संवर्ग की कोई रिक्ति नहीं है।

10. गोपनीय प्रतिवेदन का मूल्यांकन


समिति द्वारा विचार क्षेत्र के सभी कार्यपालन यंत्रियों के वर्ष 2009 से 2013 तक के गोपनीय प्रतिवेदनों का मूल्यांकन किया गया। निर्धारित कसौटियों के आधार पर समिति ने निम्न कार्यपालन यंत्रियों को अधीक्षण यंत्री (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य पाया है :-

(अ) अनारक्षित

(i) चयन सूची

स.क्र.	वरीयता क्रमांक (सहायक यंत्री दि.31.10.2000)	नाम
2	625-03	श्री अशोक कुमार जैन
3	625-04	श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव
4	625-06	श्री ऋषभ कुमार चौधरी
5	625-09	श्री श्याम मोहन अस्थाना
6	625-11	श्री कृष्णगोपाल सिंह
7	625-13	श्री चन्द्रशेखर घटोले
8	625-17	श्री प्रेमनारायण गौर
9	625-22	श्री प्रमोद कुमार शर्मा
10	625-27	श्री अरविंद कुमार उपमन्यु
11	625-28	श्री अभय कुमार जैन
12	625-32	श्री व्ही.प्रदीप
13	625-34	श्री जिलेदार सिंह सिकरवार
14	625-35	श्री दिनेश कुमार कटारिया






29.10.14

स.क्र.	वरीयता क्रमांक (सहायक यंत्री दि.31.10.2000)	नाम
15	625-38	श्री अजय कुमार सिंघल
16	625-40	श्री शिशिर कुशवाह
17	625-44	श्री अरुण कुमार रेजा
18	625-46	श्री राममणि शर्मा
19	625-47	श्री कैलाश चौबे
20	625-48	श्री भरत कुमार गोसावी
21	625-51	श्री राकेश अग्रवाल

(ii) प्रतीक्षा सूची

स.क्र.	वरीयता क्रमांक (सहायक यंत्री दि.31.10.2000)	नाम	प्रतीक्षा सूची क्र.
1	625-52	श्री विमल कुमार चौरसिया	क.-1
2	625-53	श्री पंकज झंवर	क.-2
3	625-56	श्री शिरीष मिश्रा	क.-3
4	625-60	श्री अश्वनी कुमार उपमन्यु	क.-4
5	625-61	श्री छोटेलाल गर्ग	क.-5
6	625-62	श्री बाल कृष्ण गर्ग	क.-6

(iii) बंद लिफाफे की अनुशंसाएं

स.क्र.	वरीयता क्रमांक (सहायक यंत्री दि.31.10.2000)	नाम	कारण
1	490-97	श्री रामप्रकाश गुप्ता	विभागीय जांच
2	625-23	श्री शैलेन्द्र सिंह रघुवंशी	विभागीय जांच
3	625-41	श्री सरसचन्द्र शर्मा	विभागीय जांच
4	625-42	श्री विजय कुमार कुकरेजा	विभागीय जांच

(iv) परिश्रमण में बंद लिफाफा प्रकरण

स.क्र.	वरीयता क्रमांक (सहायक यंत्री दि. 31.10.2000)	नाम	कारण
1	625-30	श्री शंभुदयाल श्रीवास्तव	विभागीय जांच वर्ष 2013 का गोपनीय प्रतिवेदन अनुपलब्ध






29.10.14

(v) अनुपयुक्त सूची

स.क्र.	वरीयता क्रमांक (सहायक यंत्री दि. 31.10.2000)	नाम	कारण
1	490-44	श्री चन्द्रमौली मिश्रा	कंप्यूटर परीक्षा अनुत्तीर्ण
2	490-13	श्री किशोर कुमार विश्वनाथ केकरे	निर्धारित बेंचमार्क पूर्ण नहीं होना
3	490-20	श्री रमेशचन्द्र पोरवाल	निर्धारित बेंचमार्क पूर्ण नहीं होना
4	625-15	श्री अविनाश कुलकर्णी	वर्ष 2013 की विपरीत टीका संसूचित
5	625-20	श्री सुधीर कुमार वाघेला	वर्ष 2011 की विपरीत टीका संसूचित
7	625-37	श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार	वर्ष 2012 की विपरीत टीका संसूचित

(vi) जिन नामों पर विचार नहीं किया गया

स.क्र.	वरीयता क्रमांक (सहायक यंत्री दि. 31.10.2000)	नाम	कारण
1	490-58	श्री उदय लेले	वर्ष 2009 से निलंबित

(ब) अनुसूचित जनजाति


(i) चयन सूची- निरंक


(ii) बंद लिफाफा प्रतीक्षा सूची


स.क्र.	वरीयता क्रमांक (सहायक यंत्री दि. 31.10 2000)	नाम	कारण
1	2430	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह कंवर	विभागीय जांच, प्रतीक्षा सूची क्रमांक-1

(iii) प्रतीक्षा सूची

स.क्र.	वरीयता क्रमांक (सहायक यंत्री दि. 31.10 2000)	नाम	प्रतीक्षा सूची क्र.
1	2435	श्री सूर्यप्रकाश शाह (सतरैया)	क्र.-2






29.10.14


(iv) बंद लिफाफे की अनुशंसाएं

स.क्र.	वरीयता क्रमांक (सहायक यंत्री दि. 31.10 2000)	नाम अधिकारी	कारण
1	2398	श्री राजेश सिंह मंडलोई	विभागीय जांच
2	2429	श्री नाथिया डामोर	विभागीय जांच


(v) अनुपयुक्त सूची

स.क्र.	वरीयता क्रमांक (सहायक यंत्री दि. 31.10 2000)	नाम अधिकारी	कारण
1	2355	श्री थान सिंह डाबर	दण्ड प्रभावशील
2	2387	श्री गुलसिंह डाबर	वर्ष 2011 की विपरीत टीका संसूचित
3	2388	श्री प्रवीणचन्द्र महाजन	वर्ष 2011 की विपरीत टीका संसूचित
4	2425	श्री छन्नूलाल मरापे	निर्धारित बैचमार्क पूर्ण नहीं होना
5	2426	श्री सज्जन सिंह चौगड़ा	वर्ष 2011 की विपरीत टीका संसूचित


(प्रो.एस.पी.गौतम)
सदस्य
लोक सेवा आयोग
अध्यक्ष


(राधेश्याम जुलानिया)
प्रमुख सचिव
जल संसाधन विभाग
सदस्य


(एम.जी.चौबे)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
सदस्य


(एन.के.परिहार)
अधीक्षण यंत्री (प्र.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग
सदस्य